[2020] 3 उम. नि. प. 16

देश राज

बनाम

बालकिशन (मृत) मार्फत प्रस्तावित विधिक प्रतिनिधि सुश्री रोहिणी

[2020 की सिविल अपील सं. 433]

20 जनवरी, 2020

मुख्य न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 133 [सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश VIII का नियम 1 तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का असंशोधित आदेश VIII का नियम 1 और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 2(ग)] – अपील – लंबित वाद में लिखित कथन फाइल करने में विलंब करना – विलंब माफी के लिए आवेदन करना – आवेदन में विलंब करने का कोई युक्तियुक्त और ठोस कारण नहीं देना – आवेदन खारिज होना – यदि किसी लंबित वाद में, लिखित कथन विहित परिसीमा अवधि के भीतर फाइल नहीं किया जाता है और अत्यधिक विलंब किया जाता है और उस विलंब के लिए कोई युक्तियुक्त ठोस कारण नहीं दिया जाता है तो कारित विलंब माफी योग्य नहीं होता है क्योंकि वाद के किसी भी पक्षकार को अनंत काल तक वाद को लंबित रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती है किन्तु न्यायालय को यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि वह मामले में, उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए, न्यायहित में संबंधित पक्षकार को एक अंतिम अवसर दे सकता है ।

वर्तमान मामले में, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी, भाई हैं और प्रत्येक एक तल, पैतृक संपत्ति सं. 142, देवली गांव, दिल्ली को धारित करते हैं । प्रत्यर्थी का भूमि तल पर कब्जा और स्वामित्व है जबकि अपीलार्थी के नाम प्रथम तल है । यह दावा किया गया है कि फरवरी, 2017 में प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी से पैतृक संपत्ति का प्रथम तल क्रय करने का प्रस्ताव किया । तत्पश्चात्, पक्षकारों के बीच तारीख 17 मार्च, 2017 को

कुल प्रतिफल 7.5 लाख रुपए में एक विक्रय करार हुआ जिसमें से अग्रिम धन के रूप में 1 लाख रुपए अपीलार्थी को संदत्त किया गया था । इस करार का बाद में अनुपालन नहीं किया गया है और प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी से प्रतिफल स्वीकार करने और संविदा के अपने भाग का पालन करने का कथन करते हुए, तारीख 13 अप्रैल, 2017 को एक नोटिस तामिल किया । यह दावा किया गया है कि अपीलार्थी, वाद संपत्ति का विक्रय तृतीय पक्षकार को करने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए, प्रत्यर्थी ने सिविल न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री के लिए एक वाद फाइल किया, यह प्रार्थना करते हुए कि अपीलार्थी को यह निर्देश दिया जाए कि वह अतिशेष विक्रय प्रतिफल को स्वीकार करते हुए, तारीख 17 मार्च, 2017 के विक्रय करार का विनिर्दिष्ट पालन करे और प्रत्यर्थी के पक्ष में विक्रय विलेख का निष्पादन/रजिस्टर करे । इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी ने किसी तीसरे पक्षकार के पक्ष में संपत्ति का अन्यसंक्रामण करने से अवरुद्ध करते हुए स्थायी तौर पर व्यादेश जारी करने की भी ईप्सा की है । वैकल्पिक रूप में, प्रत्यर्थी द्वारा वाद लंबित रहने तक 2 लाख रुपए तक की क्षतिपूर्ति की वसूली और 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भावी ब्याज की भी ईप्सा की गई है । अपीलार्थी को तारीख 1 मई, 2017 को नोटिस तामील हुआ था और वह अपने काउंसेल के माध्यम से तारीख 15 मई, 2017 को उपस्थित हुआ था जिसमें सिविल न्यायालय ने अपीलार्थी को अपना लिखित कथन फाइल करने के लिए 30 दिन की अवधि मंजूर की थी । तारीख 17 जुलाई, 2017 को यह नोटिस किया गया कि तब तक कोई लिखित कथन फाइल नहीं किया गया था तब न्यायालय ने अपीलार्थी को अपना लिखित कथन फाइल करने के लिए दो सप्ताह का अंतिम अवसर मंजूर किया था । तारीख 18 सितम्बर, 2017 को न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अंतिम अवसर देने के बावजूद, दो माह से अधिक अवधि बीतने के पश्चात् भी कोई लिखित कथन फाइल नहीं किया गया है । इतना ही नहीं, न्यायालय ने रुपए 3,000/- खर्चों का संदाय करने के अध्यधीन एक अन्य अंतिम अवसर मंजूर किया और मामले को तारीख 11 अक्तूबर, 2017 तक के लिए स्थगित कर दिया । इस तारीख पर, अपीलार्थी से कई ईप्सा की गई किन्तु उसका काउंसेल, न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ । यह उल्लिखित करने के

पश्चात् कि कई अवसरों (90 दिनों की अधिकतम अवधि के परे भी अवधि) को देने के बावजूद, अपीलार्थी कोई लिखित कथन फाइल करने या खर्चा जमा करने में असफल रहा था और यह कि मामले को बार-बार स्थगित नहीं किया जा सकता था, इसलिए, सिविल न्यायालय ने लिखित कथन फाइल करने के लिए अपीलार्थी के अवसर को बंद कर दिया और उसकी प्रतिरक्षा का खंडन कर दिया । तारीख 3 नवम्बर, 2017 को अगली सुनवाई पर भी अपीलार्थी का काउंसेल उपस्थित नहीं हुआ अथवा न ही उसने प्रत्यर्थी को लिखित कथन की प्रतिलिपि प्रदान की जैसा कि विचारण के दैनिक आदेश में उल्लिखित है । इससे व्यथित होकर, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया । जिसमें यह उल्लिखित किया गया था कि कैसे उसे बार-बार अवसर मंजूर किया गया था और फिर भी उसने नोटिस के 120 दिनों के भीतर लिखित कथन फाइल नहीं किया था । दिल्ली उच्च न्यायालय ने संक्षिप्त तौर पर याचिका खारिज कर दी थी । इससे व्यथित होकर, वर्तमान अपील फाइल की गई । न्यायालय द्वारा अपील भागत: मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रत्यर्थी द्वारा वर्तमान सिविल वाद, देवली गांव में स्थित एक पैतृक संपत्ति के एक तल का विक्रय करार का विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री के लिए और याची द्वारा उसे तृतीय पक्षकारों को अन्य संक्रामण करने से अवरुद्ध करने के लिए स्थायी व्यादेश की ईप्सा करते हुए, फाइल की गई थी । प्रत्यर्थी के काउंसेल ने विवाद की गैर-वाणिज्यिक प्रकृति के बारे में विरोध नहीं किया है और स्वतंत्र रूप से भी न्यायालय का यह समाधान है कि विवाद, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 2(ग) के अधीन विनिर्दिष्ट मापदंडों के भीतर नहीं आता है और विशिष्टतया उपखंड (VII) के अधीन, क्योंकि यहां अचल संपत्ति की प्रकृति ऐसी नहीं है जिसका "अनन्य रूप से व्यापार या वाणिज्य में उपयोग" किया जा सके । अतएव, अपीलार्थी यह दलील देने में सही है कि उच्च न्यायालय ने विवाद की प्रकृति पर ध्यान नहीं दिया और भूलवश सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपांतरित भाग के प्रकाश में मामले का विनिश्चयाधार लागू किया जो वाणिज्यिक मामलों में ही लागू होता है । तथापि, यह कहा जा सकता है कि यद्यपि, असंशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश VIII का नियम 1,

निदेशात्मक है फिर भी यह किसी भी मुकदमेबाज या वकील को स्वयं अपनी इच्छा से और/या लंबे समय तक लिखित कथन फाइल करने की स्वतंत्रता नहीं देता है । सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन समय-सीमा का वर्णन करने के पीछे विधान-मंडल के उद्देश्य को सम्यक् रूप से भार दिया जाना चाहिए जिससे कि विवादकों का हल विहित समय के भीतर हो सके । न्यायालयों की अंतर्निहित विवेकाधिकार जैसे कि आदेश VIII के नियम 1 के अधीन विलंब माफी की योग्यता, एक ऋजुत: परिभाषित अवधारणा है और इसकी रूपरेखा समय के साथ-साथ न्यायिक विनिश्चयों में अवधारित होती रही है । दृष्टांतत:, कारकों के कारण घटित अत्यधिक कठिनाई या विलंब जो पक्षकारों के नियंत्रण के परे है जिन्हें सक्रिय परिश्रम के बावजूद टाला नहीं जा सकता है, वे विलंब माफी के लिए न्यायोचित और साम्यिक उदाहरण हो सकते हैं । तथापि, अभिलेख पर के तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को कई अवसर दिए गए थे । उसे तारीख 1 मई, 2017 को नोटिस तामील की गई थी और तारीख 15 मई, 2017 को काउंसेल के माध्यम से उपस्थित हुआ । सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VIII के नियम 1 के अनुसार, अपीलार्थी को आदर्श रूप से तारीख 31 मई, 2017 तक अपना लिखित कथन फाइल कर देना चाहिए था और अधिक से अधिक तारीख 30 जुलाई, 2017 तक अपना लिखित कथन फाइल कर देना चाहिए था । 'मूल आदेश VIII के नियम 1' द्वारा विहित 90 दिन की समय-सीमा के भीतर लिखित कथन फाइल करने के लिए दो पृथक् समय-सीमा देने के अतिरिक्त, सिविल न्यायालय ने 90 दिन की अवधि बीतने के पश्चात् भी एक अंतिम अवसर तारीख 18 सितम्बर, 2018 तक रुपए 3,000/- के खर्चे का संदाय करने के अध्यधीन उसे अपना लिखित कथन फाइल करने के लिए दिया था । इन सभी समय-सीमाओं में से किसी का भी अनुपालन नहीं किया गया है । तारीख 11 अक्तूबर, 2017 को भी जब न्यायालय ने लिखित कथन फाइल करने की अपीलार्थी के योग्यता को बंद कर दिया और अभिलेख से उसकी प्रतिरक्षा को अभिखंडित कर दिया तो भी विधिक की प्रक्रिया के अनुसरण में अनुपालन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था । तारीख 2 नवम्बर, 2017 को, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VIII के नियम 1 परंतुक के अधीन विस्तारित अधिकतम अवधि 95 दिनों के विलंब के पश्चात् ही अपीलार्थी

ने अपना लिखित कथन फाइल करने का दावा किया । तथापि, उत्सुकतावश तारीख 3 नवम्बर, 2017 को अगली सुनवाई भी रखी गई किन्तु अपीलार्थी, प्रत्यर्थी को लिखित कथन की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने में असफल रहा था जैसा कि सिविल न्यायालय द्वारा उल्लिखित किया गया है । इन बारंबार और घोर लोप करने के लिए मात्र यह प्रतिरक्षा ली गई है कि अपीलार्थी का काउंसेल उपस्थित नहीं हो रहा था । सकारण न्यायोचितता या स्पष्टीकरण देने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया है और यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने आकस्मिक तरीके में, माफी की ईप्सा की है । इसे अनुज्ञा या प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए । न्यायालयों को मजबूती तौर पर, यह सुनिश्चित करने का कार्य करना चाहिए कि सभी कार्यवाहियां युक्तियुक्त समय के भीतर सुनिश्चित की जाए और यह न्यायिक व्यवस्था का कर्तव्य होना चाहिए कि वे संबंधित समय-सीमा की संस्कृति को विकसित करे और न्यायालयों, इसके अधिकारियों के साथ ही इसके सलाहकारों के समय का अच्छी तरह से उपयोग हो सके । विधि की प्रक्रिया के बारे में दैनिक माफी और लापरवाही दृष्टिकोण से न्याय प्रशासन प्रभावित होता है । यह न्यायालयों की प्रबंध कार्यसूची को प्रभावित करता है और इससे अत्यधिक विलंब, खर्चों में बढ़ोत्तरी और अव्यवस्था कारित होती है । इसका प्रभाव न केवल मुकदमेबाजों पर पड़ता है अपितु इसका असर देश की व्यवस्था पर भी पड़ता है और साधारण जनता तकनीकी प्रक्रियाओं में सदियों तक फंसी रहती है । अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को काउंसेल या स्वयं के माध्यम से लिखित कथन फाइल करने से कोई चीज अवरुद्ध नहीं की है । इस प्रकार, वह विलंब के लिए कोई तर्कपूर्ण कारण देने में असफल रहा है और अपनी ओर से सम्यक् परिश्रम करने का समाधान करने में असमर्थ रहा है । ऐसा अभिनिर्धारित करते हुए अपील खारिज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है । तथापि, मामले की विशेष परिस्थितियों को उदारतापूर्वक ध्यान में रखते हुए और विवेकाधिकार अधिकथित किए बिना पूर्ववर्ती रूप में इसमें इसके पश्चात् विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए, हम यह निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी द्वारा तारीख 2 नवम्बर, 2017 को फाइल लिखित कथन (जैसा दावा किया गया है) को आज से एक सप्ताह के भीतर प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल को प्रतिलिपि सहित और प्रत्यर्थी को रुपए 25,000/- के खर्चे का संदाय

करने का अध्यधीन अभिलेख पर लिया जाए । (पैरा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2019]	ए. आई. आर 2019 एस. सी. 2691 : **एस. सी. जी. कांट्रेक्ट इंडिया प्रा. लि.** बनाम **के. एस. चमनकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.** ;	13
[2018]	(2018) 6 एस. सी. सी. 639 : **एटकॉम टेक्नोलॉजिस लि.** बनाम **वाई. ए. चुनावाला एंड कंपनी** ;	14
[2016]	(2016) एस. सी. सी. ऑनलाइन दिल्ली 660 : **ओकू टेक प्रा. लि.** बनाम **संगीत अग्रवाल और अन्य** ;	7,8,13,21
[2005]	(2005) 6 एस. सी. सी. 344 : **सोलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन टी. एन.** बनाम **यूनियन ऑफ इंडिया** ।	8

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2020 की सिविल अपील सं. 433.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 133 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री अनिलेन्द्र पांडे

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री अर्पणा झा

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे ने दिया ।

मु. न्या. बोबडे – इजाजत दी गई ।

2. यह अपील उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा पारित तारीख 26 नवम्बर, 2018 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा सिविल न्यायालय के आदेश के विरुद्ध याची के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया गया था और उसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सी.पी.सी." कहा गया है) के आदेश VIII के नियम 1 के

अधीन लिखित कथन फाइल करने के उसके अधिकार को बंद कर दिया गया था और बार-बार विलंब करने और विहित अंतिम तिथि पर ध्यान नहीं देने के कारण उसकी प्रतिरक्षा का खंडन कर दिया गया था ।

3. अपीलार्थी और प्रत्यर्थी, भाई हैं और प्रत्येक एक तल, पैतृक संपत्ति सं. 142, देवली गांव, दिल्ली को धारित करते हैं । प्रत्यर्थी का भूमि तल पर कब्जा और स्वामित्व है जबकि अपीलार्थी के नाम प्रथम तल है ।

4. यह दावा किया गया है कि फरवरी, 2017 में प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी से पैतृक संपत्ति का प्रथम तल क्रय करने का प्रस्ताव किया । तत्पश्चात्, पक्षकारों के बीच तारीख 17 मार्च, 2017 को कुल प्रतिफल 7.5 लाख रुपए में एक विक्रय करार हुआ जिसमें से अग्रिम धन के रूप में 1 लाख रुपए अपीलार्थी को संदत्त किया गया था । इस करार का बाद में अनुपालन नहीं किया गया है और प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी से प्रतिफल स्वीकार करने और संविदा के अपने भाग का पालन करने का कथन करते हुए, तारीख 13 अप्रैल, 2017 को एक नोटिस तामील किया ।

5. यह दावा किया गया है कि अपीलार्थी, वाद संपत्ति का विक्रय तृतीय पक्षकार को करने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए, प्रत्यर्थी ने सिविल न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री के लिए एक वाद फाइल किया, यह प्रार्थना करते हुए कि अपीलार्थी को यह निर्देश दिया जाए कि वह अतिशेष विक्रय प्रतिफल को स्वीकार करते हुए, तारीख 17 मार्च, 2017 के विक्रय करार का विनिर्दिष्ट पालन करे और प्रत्यर्थी के पक्ष में विक्रय विलेख का निष्पादन/रजिस्टर करे । इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी ने किसी तीसरे पक्षकार के पक्ष में संपत्ति का अन्यसंक्रामण करने से अवरुद्ध करते हुए स्थायी तौर पर व्यादेश जारी करने की भी ईप्सा की है । वैकल्पिक रूप में, प्रत्यर्थी द्वारा वाद लंबित रहने तक 2 लाख रुपए तक की क्षतिपूर्ति की वसूली और 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भावी ब्याज की भी ईप्सा की गई है ।

6. अपीलार्थी को तारीख 1 मई, 2017 को नोटिस तामील हुई थी और वह अपने काउंसेल के माध्यम से तारीख 15 मई, 2017 को उपस्थित हुआ था जिसमें सिविल न्यायालय ने अपीलार्थी को अपना

लिखित कथन फाइल करने के लिए 30 दिन की अवधि मंजूर की थी । तारीख 17 जुलाई, 2017 को यह नोटिस किया गया कि तब तक कोई लिखित कथन फाइल नहीं किया गया था तब न्यायालय ने अपीलार्थी को अपना लिखित कथन फाइल करने के लिए दो सप्ताह का अंतिम अवसर मंजूर किया था । तारीख 18 सितम्बर, 2017 को न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अंतिम अवसर देने के बावजूद, दो माह से अधिक अवधि बीतने के पश्चात् भी कोई लिखित कथन फाइल नहीं किया गया है । इतना ही नहीं, न्यायालय ने रुपए 3,000/- खर्चों का संदाय करने के अध्यधीन एक अन्य अंतिम अवसर मंजूर किया और मामले को तारीख 11 अक्तूबर, 2017 तक के लिए स्थगित कर दिया । इस तारीख पर, अपीलार्थी से कई ईप्सा की गई किन्तु उसका काउंसेल न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ । यह उल्लिखित करने के पश्चात् कि कई अवसरों (90 दिनों की अधिकतम अवधि के परे भी अवधि) को देने के बावजूद, अपीलार्थी कोई लिखित कथन फाइल करने या खर्चा जमा करने में असफल रहा था और यह कि मामले को बार-बार स्थगित नहीं किया जा सकता था, इसलिए, सिविल न्यायालय ने लिखित कथन फाइल करने के लिए अपीलार्थी के अवसर को बंद कर दिया और उसकी प्रतिरक्षा का खंडन कर दिया । तारीख 3 नवम्बर, 2017 को अगली सुनवाई पर भी अपीलार्थी का काउंसेल उपस्थित नहीं हुआ अथवा न ही उसने प्रत्यर्थी को लिखित कथन की प्रतिलिपि प्रदान की जैसा कि विचारण के दैनिक आदेश में उल्लिखित है ।

7. इससे व्यथित होकर, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया । जिसमें यह उल्लिखित किया गया था कि कैसे उसे बार-बार अवसर मंजूर किया गया था और फिर भी उसने नोटिस के 120 दिनों के भीतर लिखित कथन फाइल नहीं किया था । **ओकू टेक प्रा. लि.** बनाम **संगीत अग्रवाल और अन्य**[1] वाले मामले में, इसके समन्वय न्यायपीठ के आदेश का अवलंब लेते हुए, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि समन तामील करने के पश्चात् 120 दिनों के परे लिखित कथन फाइल करने के लिए समय का विस्तार करना, न्यायालयों का विवेकाधिकार नहीं होता है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने संक्षिप्त तौर पर याचिका खारिज कर दी थी ।

---

[1] (2016) एस. सी. सी. ऑनलाइन दिल्ली 660.

पक्षकारों की दलीलें

8. अपीलार्थी की प्राथमिक दलील यह है कि **ओकू टेक** (उपर्युक्त) वाले मामले का अवलंब लेना त्रुटिपूर्ण था क्योंकि इसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VIII के नियम 1 के प्रकाश में दिया गया था जैसा कि यह वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित हुआ था जो मात्र वाणिज्यिक विवादों में लागू होते थे । वर्तमान मामला, गैर-वाणिज्यिक होने के रूप में चिह्नित है और यह तर्क दिया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का असंशोधित आदेश VIII का नियम 1 लागू होता है जिसमें यदि 90 दिनों से कम की अंतिम तिथि दी गई है तो उसका अनुपालन नहीं करने का कोई परिणाम नहीं होता है । यह दलील दी गई कि यह उपबंध मात्र प्रक्रियात्मक है और सहवर्ती निर्देशिका है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कतिपय विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है जिनमें **सोलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन टी. एन.** बनाम **यूनियन ऑफ इंडिया**[1] वाला मामला सम्मिलित है ।

9. यह दिया गया कि अपीलार्थी ने यह दलील दी कि 90 दिनों की अंतिम तिथि में, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छूट दी जा सकती थी और यह तर्क दिया कि वह स्वयं व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई के लिए सभी तारीखों पर उपस्थित हुआ था और उसके काउंसेल की ओर से लोप हुआ है, जिसके कारण लिखित कथन फाइल नहीं किया जा सका था । अपीलार्थी ने यह दावा किया है कि इससे उसे कई प्रतिकूलता कारित होगी यदि विलंब माफ नहीं किया जाता है, जिसके कारण वह सिविल वाद में प्रतिरक्षा रहित हो जाएगा । तद्नुसार, उसने यह ईप्सा की है कि यह न्यायालय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VIII के नियम 1 के अधीन स्वयं में अंतर्निहित विवेकाधिकार का अवलंब ले सकता है और उसे अपना लिखित कथन फाइल करने के लिए एक और अंतिम अवसर मंजूर कर सकता है ।

10. इसका, प्रत्यर्थी की ओर से विरोध किया गया है जिसने यह प्राख्यान किया कि सिविल न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को पहले ही कई अवसर मंजूर किए जा चुके हैं जिसमें 90 दिनों की अधिकतम कानूनी

---

[1] (2005) 6 एस. सी. सी. 344.

अवधि के परे भी अवसर सम्मिलित है जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VIII के नियम 1 के अधीन लिखित फाइल करने के लिए उपबंधित है । यह तर्क दिया गया कि सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए कई अंतिम अवसरों को, वह ध्यान देने में निरंतर असफल रहा और न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, अपीलार्थी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने में घोर उपेक्षा की गई है और विलंब करने की जानबूझकर चाल चली गई है और बुरी तरह से विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है ।

विश्लेषण और निष्कर्ष

11. आरंभ में ही, यह उल्लिखित किया जाना चाहिए कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 16 के माध्यम से इसे वाणिज्यिक विवादों में लागू करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में संशोधन करते हुए, निम्नलिखित उपबंध किया गया है :-

> "16. **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में, वाणिज्यिक विवादों को उसको लागू होने के संबंध में संशोधन** - (1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंध, किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के किसी वाणिज्यिक विवाद की बाबत किसी वाद को उनके लागू होने के संबंध में, अनुसूची में यथा-निर्दिष्ट रीति में संशोधित हो जाएंगे ।
>
> (2) वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक न्यायालय, किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के किसी वाणिज्यिक विवाद की बाबत किसी वाद के विचारण में, इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों का अनुसरण करेगा ।
>
> (3) जहां अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय के किसी नियम का कोई उपबंध या राज्य द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में किया गया कोई संशोधन, इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों के परस्पर विरोध में है वहां इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध अभिभावी होंगे ।

12. अतएव, यह स्पष्ट है कि पूर्वोक्त अधिनियम के प्रवर्तन में आने के पूर्व, सिविल प्रक्रिया की दो व्यवस्थाएं थीं । जबकि वाणिज्यिक विवाद (जैसा कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 2(ग) के अधीन परिभाषित हैं) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा शासित है जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 16 द्वारा संशोधित है, अन्य सभी गैर-वाणिज्यिक विवाद, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के असंशोधित (या मूल) उपबंधों की परिधि के भीतर आते हैं ।

13. विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा **ओकू टेक** (उपर्युक्त) वाले मामले के निर्णय का लिया गया अवलंब, निस्संदेह अच्छी विधि है जैसा कि **एस. सी. जी. कांट्रेक्ट इंडिया प्रा. लि.** बनाम **के. एस. चमनकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.**[1] वाले नवीनतम मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है किन्तु लिखित कथन फाइल करने के लिए विहित समय सीमा की आज्ञापक प्रकृति और किसी विलंब को माफ करने की न्यायालयों के विवेकाधिकार के अभाव से संबद्ध अनुपात मात्र वाणिज्यिक विवादों में ही लागू होते हैं क्योंकि **एस. सी. जी. कांट्रेक्ट इंडिया प्रा. लि.** (उपर्युक्त) वाले मामले में निर्णय, निस्संदेह, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के संशोधित आदेश VIII के नियम 1 के समान वाणिज्यिक विवादों के संदर्भ में दिया गया है ।

14. जहां तक गैर-वाणिज्यिक विवादों में लिखित कथन फाइल करने के लिए समय-सीमा का संबंध है, इस न्यायालय ने कई विनिश्चयों में मत व्यक्त किया है, नवीनतम **एटकॉम टेक्नोलॉजिस लि.** बनाम **वाई. ए. चुनावाला एंड कंपनी**[2] वाले मामले में, इसके क्षेत्र को अभिनिर्धारित किया गया है । असंशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश VIII का नियम 1 निरंतर आदेशात्मक रहा है और यह कतिपय विलंब माफी करने की न्यायालयों की अंतर्निहित विवेकाधिकार को किसी भी प्रकार से नहीं छीनता है ।

15. इसलिए, अब, इस बात पर विचार करते हैं कि क्या अपीलार्थी ने ऐसे वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग करने का मामला बनाया है ?

---

[1] ए. आई. आर 2019 एस. सी. 2691.

[2] (2018) 6 एस. सी. सी. 639.

प्रत्यर्थी द्वारा वर्तमान सिविल वाद, देवली गांव में स्थित एक पैतृक संपत्ति के एक तल का विक्रय करार का विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री के लिए और याची द्वारा उसे तृतीय पक्षकारों को अन्यसंक्रामण करने से अवरुद्ध करने के लिए स्थायी व्यादेश की ईप्सा करते हुए, फाइल की गई थी । प्रत्यर्थी के काउंसेल ने विवाद की गैर-वाणिज्यिक प्रकृति के बारे में विरोध नहीं किया है और स्वतंत्र रूप से भी हमारा यह समाधान है कि विवाद, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 2(ग) के अधीन विनिर्दिष्ट मापदंडों के भीतर नहीं आता है और विशिष्टतया उपखंड (VII) के अधीन, क्योंकि यहां अचल संपत्ति की प्रकृति ऐसी नहीं है जिसका "अनन्य रूप से व्यापार या वाणिज्य में उपयोग" किया जा सके । अतएव, अपीलार्थी यह दलील देने में सही है कि उच्च न्यायालय ने विवाद की प्रकृति पर ध्यान नहीं दिया और भूलवश सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपांतरित भाग के प्रकाश में मामले का विनिश्चयाधार लागू किया जो वाणिज्यिक मामलों में ही लागू होता है ।

16. तथापि, यह कहा जा सकता है कि यद्यपि, असंशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश VIII का नियम 1, निदेशात्मक है फिर भी यह किसी भी मुकदमेबाज या वकील को स्वयं अपनी इच्छा से और/या लंबे समय तक लिखित कथन फाइल करने की स्वतंत्रता नहीं देता है । सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन समय-सीमा का वर्णन करने के पीछे विधान-मंडल के उद्देश्य को सम्यक् रूप से भार दिया जाना चाहिए जिससे कि विवादकों का हल विहित समय के भीतर हो सके । न्यायालयों की अंतर्निहित विवेकाधिकार जैसे कि आदेश VIII के नियम 1 के अधीन विलंब माफी की योग्यता, एक ऋजुत: परिभाषित अवधारणा है और इसकी रूपरेखा समय के साथ-साथ न्यायिक विनिश्चयों में अवधारित होती रही है । दृष्टांतत:, कारकों के कारण घटित अत्यधिक कठिनाई या विलंब जो पक्षकारों के नियंत्रण के परे है जिन्हें सक्रिय परिश्रम के बावजूद टाला नहीं जा सकता है, वे विलंब माफी के लिए न्यायोचित और साम्यिक उदाहरण हो सकते हैं ।

17. तथापि, अभिलेख पर के तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को कई अवसर दिए गए थे । उसे तारीख 1 मई, 2017 को नोटिस तामील की गई थी और तारीख 15 मई, 2017 को काउंसेल के

माध्यम से उपस्थित हुआ । सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VIII के नियम 1 के अनुसार, अपीलार्थी को आदर्श रूप से तारीख 31 मई, 2017 तक अपना लिखित कथन फाइल कर देना चाहिए था और अधिक से अधिक तारीख 30 जुलाई, 2017 तक अपना लिखित कथन फाइल कर देना चाहिए था । "मूल आदेश VIII के नियम 1" द्वारा विहित 90 दिन की समय-सीमा के भीतर लिखित कथन फाइल करने के लिए दो पृथक् समय-सीमा देने के अतिरिक्त, सिविल न्यायालय ने 90 दिन की अवधि बीतने के पश्चात् भी एक अंतिम अवसर तारीख 18 सितम्बर, 2018 तक रुपए 3,000/- के खर्चे का संदाय करने के अध्यधीन उसे अपना लिखित कथन फाइल करने के लिए दिया था । इन सभी समय-सीमाओं में से किसी का भी अनुपालन नहीं किया गया है । तारीख 11 अक्तूबर, 2017 को भी जब न्यायालय ने लिखित कथन फाइल करने की अपीलार्थी के योग्यता को बंद कर दिया और अभिलेख से उसकी प्रतिरक्षा को अभिखंडित कर दिया तो भी विधिक की प्रक्रिया के अनुसरण में अनुपालन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था ।

18. तारीख 2 नवम्बर, 2017 को, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VIII के नियम 1 परंतुक के अधीन विस्तारित अधिकतम अवधि 95 दिनों के विलंब के पश्चात् ही अपीलार्थी ने अपना लिखित कथन फाइल करने का दावा किया । तथापि, उत्सुकतावश तारीख 3 नवम्बर, 2017 को अगली सुनवाई भी रखी गई किन्तु अपीलार्थी, प्रत्यर्थी को लिखित कथन की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने के असफल रहा था जैसा कि सिविल न्यायालय द्वारा उल्लिखित किया गया है ।

19. इन बारम्बार और घोर लोप करने के लिए मात्र यह प्रतिरक्षा ली गई है कि अपीलार्थी का काउंसेल उपस्थित नहीं हो रहा था । सकारण न्यायोचितता या स्पष्टीकरण देने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया है और यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने आकस्मिक तरीके में, माफी की ईप्सा की है । इसे अनुज्ञा या प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए । न्यायालयों को मजबूती तौर पर, यह सुनिश्चित करने का कार्य करना चाहिए कि सभी कार्यवाहियां युक्तियुक्त समय के भीतर सुनिश्चित की जाएं और यह न्यायिक व्यवस्था का कर्तव्य होना चाहिए कि वे संबंधित समय-सीमा की संस्कृति को विकसित करे और न्यायालयों, इसके अधिकारियों के साथ ही इसके सलाहकारों के समय का अच्छी तरह से उपयोग हो सके ।

20. विधि की प्रक्रिया के बारे में दैनिक माफी और लापरवाही दृष्टिकोण से न्याय प्रशासन प्रभावित होता है । यह न्यायालयों की प्रबंध कार्यसूची को प्रभावित करता है और इससे अत्यधिक विलंब, खर्चों में बढ़ोत्तरी और अव्यवस्था कारित होती है । इसका प्रभाव न केवल मुकदमेबाजों पर पड़ता है अपितु इसका असर देश की व्यवस्था पर भी पड़ता है और साधारण जनता तकनीकी प्रक्रियाओं में सदियों तक फंसी रहती है ।

21. अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को काउंसेल या स्वयं के माध्यम से लिखित कथन फाइल करने से कोई चीज अवरुद्ध नहीं की है । इस प्रकार, वह विलंब के लिए कोई तर्कपूर्ण कारण देने में असफल रहा है और अपनी ओर से सम्यक् परिश्रम करने का समाधान करने में असमर्थ रहा है, यद्यपि वह अपने इस निवेदन में सही है कि उच्च न्यायालय ने **ओकू टेक** (उपर्युक्त) वाले मामले का अवलंब त्रुटिपूर्ण तौर पर लिया है ।

22. ऐसा अभिनिर्धारित करते हुए अपील खारिज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है । तथापि, मामले की विशेष परिस्थितियों को उदारतापूर्वक ध्यान में रखते हुए और विवेकाधिकार अधिकथित किए बिना पूर्ववर्ती रूप में इसमें इसके पश्चात् विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए, हम यह निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी द्वारा तारीख 2 नवम्बर, 2017 को फाइल लिखित कथन (जैसा दावा किया गया है) को आज से एक सप्ताह के भीतर प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल को प्रतिलिपि सहित और प्रत्यर्थी को रुपए 25,000/- के खर्चे का संदाय करने का अध्यधीन अभिलेख पर लिया जाए ।

23. इस प्रकार, निचले न्यायालयों के आदेश आपस्त किए जाते हैं और उपर्युक्त निबंधनों में अपील निपटाई जाती है ।

अपील भागत: मंजूर की गई ।

क.